न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 16/2020

अपीलांट

कालुसिंह पुत्र कल्याणसिंह देवडा जाति राजपूत, आयु वयस्क, पेशा खेती, निवासी कालन्द्री, तहसील व जिला सिरोही, राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. अन्तरकंवर पत्नी लाखसिंजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
2. उसबकंवर पत्नी नाथुसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
3. ओबसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
4. गंगासिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
5. जसवंतसिंह पुत्र लाखसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
6. जितेन्द्रसिंह पुत्र नाथुसिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क निवावसी जैला
7. डुगरसिंह पुत्र धोकसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
8. पूजांकवर पुत्री लाखसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
9. पृथ्वीराजसिंह पुत्र लाखसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
10. मलमसिंह पुत्र रूपसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
    रेस्पोडेन्ट संख्या 08 से 10 जरिए कुदरती वलीया माता अन्तरकंवर पत्नी लाखसिंह जाति राजपुत निवासी जैला, तहसील व जिला सिरोही
11. परसकंवर पत्नी रूपसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
12. बलुसिंह पुत्र रूपसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
13. महेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी जैला
14. श्यामसिंह पुत्र रूपसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क पेशा खेती, निवासी जैला, तहसील व जिला सिरोही, राजस्थान।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

सरकारी पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 15 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16/2020

कालूसिंह वगैरह बनाम अन्तरकंवर वगैरह

पेज संख्या 2/4

—: निर्णय :—

दिनांकः— 23.03.2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 26/2019 बउनवान कालुसिंह बनाम अन्तरकंवर वगैरा में पारित आदेश दिनांक 10.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 15 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 404 व 408 में से रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट वे अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खातेदारी तथा कब्जा काश्त की आराजी मौजा जैला में आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 409 रकबा 4.2700 हैक्टेयर है। उक्त आराजी में आने जाने हेतु रेकर्ड में कोई रास्ता नहीं है। अपीलांट खसरा संख्या 404 व 408 की कृषि भूमि में से मौके पर कई वर्षो से अपनी आराजी में आते जाते रहे है। अपीलांट की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका फर्द में यह स्पष्ठ लिखा गया है कि खसरा संख्या 409 की आराजी मे आने जाने को कोई रास्ता मौके पर विघमान नही है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये धारा 251 ए की मंशा के विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होंता है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 15 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 404 व 408 में से रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार जैला द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार सिरोही द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 23.10.

2020 में यह स्पष्ट अंकन है कि मौके पर अन्य रास्ते के बारे में जांच पर पूर्व में एक रास्ता कच्चा ख.नं 419, 417, 415, 410 का बताया गया लेकिन मौके पर बंद है एव काफी लंबी दूरी रेकर्ड के अनुसार है। जहां पर रास्ते के कोई चलने के निशानात भी नहीं है एवं तारबंदी भी की हुई है। प्रस्तावित रास्त ख.न. 408 व 404 में से किया गया लघुतम है। अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण के पास अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary^^ ,oa ^^absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। प्रकरण में तहसीलदार सिरोही द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 23.10.2020 में यह स्पष्ट अंकन है कि मौके पर अन्य रास्ते के बारे में जांच पर पूर्व में एक रास्ता कच्चा ख.नं 419, 417, 415, 410 का बताया गया लेकिन मौके पर बंद है एव काफी लंबी दूरी रेकर्ड के अनुसार है। जहां पर रास्ते के कोई चलने के निशानात भी नहीं है एवं तारबंदी भी की हुई है। प्रस्तावित रास्ता ख.न. 408 व 404 में से किया गया लघुतम है। अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण के पास अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जों कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 26/2019 बउनवान कालुसिंह बनाम अन्तरकंवर वगैरा में पारित आदेश दिनांक 10.11.2020 को अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण को जवाब के संलग्न नक्शे में वर्णित A से B

हिस्से वाली भूमि रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 404 में से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि 0.65 बीघा तथा खसरा नंबर 408 में से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि 0.25 बीघा कुल रकबा 0.90 बीघा अर्थात 0.1460 हैक्टेयर या 1460 वर्गमीटर भूमि में रास्ता प्रदान करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया जाता है कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान मे रखते हुए उक्त आदेश की पालना करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प जालोर

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पाली